Case No. - 88/2023 श्रीमती मंजू / रविकान्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.09.24	पत्रावली पेश हुई। दुर्गा देवी को जारी समन्स रैक रिपोर्ट के आधार पर अ.ना.प्रा. पुनः सवि. प्रार्थी सही व पूर्ण पते के साथ दुर्गा व अप्रार्थी नं. ② के pf मय नोटिस पेश करे जो जारी होकर पत्रावली दि. 01.10.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) **जिला कलेक्टर, पाली**	
01.10.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जेर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित तथ्यों का अध्ययन करने पर पाया कि उन्होंने उक्त जेर प्रार्थना-पत्र तत्कालीन पीठासीन अधिकारी से न्याय नहीं मिलने की उम्मीद में न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में विचाराधीन राजस्व विविध संख्या 19/2015 बजरिये पुनमचन्द एवं मु. सोनी बेवा पुनमचन्द जी के कायम मुकाम ~~का~~ गोविन्दराम बनाम स्व. सरेमल के कायम मुकाम कान्तिलाल वगैरह को किसी अन्य समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरण बाबत् पेश किया। चूंकि वर्तमान में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण किसी अन्य स्थान पर हो गया है। जिससे उक्त प्रार्थना-पत्र infructuous होने से न्यायालय हाजा में चलाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) **जिला कलेक्टर, पाली** (मुहर: न्यायालय जिला कलेक्टर ... (राजस्थान))	

Scanned with ACE Scanner